राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

<u>निर्वाचन आवश्यक/फैक्स</u>

संख्या 1651/रा0नि0आ0-2/786/2007 दिनांक 06/09/2008

प्रेषक,

जे0आर0लापड़,
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)।

विषय- <u>त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2008 में मतों की गणना के सम्बन्ध में</u>

महोदय,

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2008 में मतो की गणना के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी की गयी मतगणना अधिकारियों /कर्मचारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका 2008 के पृष्ठ संख्या 9, प्रस्तर-30 में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पूर्व विवरण दर्ज करके निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर लेने और निर्वाचन अधिकारी /सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त परिणाम घोषित करने की व्यवस्था की गई है।

उक्त सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

1- निर्वाचन की घोषणा के पूर्व पंजिका में निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात निर्वाचन अधिकारी /सहायक निर्वाचन अधिकारी स्वयं हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा।

2- सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन परिणाम के निर्वाचन अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा प्रेक्षक के प्रतिहस्ताक्षर के बाद घोषणा की जायेगी। जिला पंचायत सदस्य के परिणाम घोषणा के लिये जिला मुख्यालय में नियुक्त प्रेक्षक ही प्रेक्षक होगा।

क्रमश............2

3- यदि निर्वाचन परिणाम के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी को संशय हो तो प्रकरण तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी और मतगणना प्रेक्षक को सन्दर्भित किया जायेगा। यदि स्थानीय स्तर पर प्रकरण का निस्तारण नही होता है तो आयोग से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही परिणाम घोषित किया जायेगा।

5- उक्त सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना है कि यदि पंचायत निर्वाचन में लड रहे उम्मीदवारों के साथ मतगणना और निर्वाचन परिणााम की घोषणा में किसी प्रकार की धोखाधडी या साजिश पायी जायेगी तो सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी को दात्यिव के निर्वहन में विफल रहने, सेवा सम्बन्धी कदाचार करने तथा पदीय कर्तव्य भंग का दोषी माना जायेगा। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-134 के अन्तर्गत संज्ञान लेते हुये प्रथम सूचना रिर्पोट भी दर्ज करायी जायेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशो से मतगणना कार्यो में लगे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भलीभांति अवगत करा दिया जाय।

भवदीय,

(जे0आर0लापड़)
संयुक्त सचिव।

संख्या 1651(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/786/2007 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमायूँ ।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानीय चुनावालय, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।

(जे0आर0लापड़)
संयुक्त सचिव।